

IN THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

“B” BENCH, AHMEDABAD

सुश्री सुचित्रा कांबले, न्यायिक सदस्य एवं

श्री नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य

आयकर अपील सं./ITA No. 583/Ahd/2024

(निर्धारण वर्ष / Assessment Year: NA)

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| श्री पछत महिला विकास मंडल प्लॉट नं.-34, नारी रोड, गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पीछे, कृष्णा सोसाइटी, कुम्भरवाड़ा, भावनगर, गुजरात 364006 | बनाम/ Vs. | आयुक्त अहमदाबाद (छूट) |
| स्थायी लेखा सं./जीआइआर सं./PAN/GIR No. : AAOTS6391J | | |
| (अपीलकर्ता) (Appellant) | .. | (प्रतिवादी) (Respondent) |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| अपीलार्थी ओर से /Appellant by : | श्री मोहित बलानी, अधिकृत प्रतिनिधि |
| प्रत्यर्थी की ओर से/Respondent by : | श्री सुधेन्दु दास, आयुक्तडीआर- |

| | |
|----------------|------------|
| सुनवाई की तिथि | 19/09/2024 |
| निर्णय की तिथि | 01/10/2024 |

आदेश

श्री नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, एएम द्वारा:

यह अपील अपीलकर्ता द्वारा आयुक्त (छूट) अहमदाबाद (संक्षेप में 'सीआईटी(ई)') के आदेश दिनांक 12.01.2024 के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AB के तहत दायर की गई है

2. सुनवाई के दौरान श्री मोहित बलानी, अधिकृत प्रतिनिधि ने सूचित किया कि अपीलकर्ता इस अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इस संबंध में एक पत्र दिनांक 19.09.2024 को दायर किया गया, जिसमें सूचित किया गया कि वर्तमान अपील दायर करने के बाद अपीलकर्ता ने पंजीकरण के लिए एक नई याचिका दायर की है। अपीलकर्ता वर्तमान में आयुक्त (छूट) अहमदाबाद के समक्ष इस मामले का अनुसरण कर रहा है और इस अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी है। राजस्व विभाग को अपीलकर्ता द्वारा अपील को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. हमने अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अपीलकर्ता ने आयुक्त (छूट) के समक्ष दायर नई याचिका का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। इसलिए, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी है, साथ ही इस ट्रिब्यूनल के समक्ष फिर से अपील करने की स्वतंत्रता मांगी है, यदि नई याचिका का कोई प्रतिकूल परिणाम होता है। अपीलकर्ता को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सके, जिसके लिए इस ट्रिब्यूनल से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र, वर्तमान अपील को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है।

यह आदेश 01/10/2024 को सुनाया गया।

Sd/-
(सुचित्रा कांबले)
न्यायिक सदस्य

Sd/-
(नरेंद्र प्रसाद सिन्हा)
लेखा सदस्य

(True Copy)

अहमदाबाद, दिनांक : 01/10/2024